

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 966  
दिनांक 22 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

महिला और बच्चों के विकास के लिए योजनाएं

966. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:  
श्री रोडमल नागर:  
श्री राजन बाबूराव विचारे:  
श्रीमती अपरुपा पोद्दार:  
श्री रमेश बिन्द:  
श्री राजेन्द्र धेञ्ज्या गावित:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश में महिलाओं और बच्चों के सामाजिक सुरक्षा/सशक्तिकरण/कल्याण/विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इसके लिए कितनी निधि आवंटित, स्वीकृत जारी और उपयोग की गई और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभान्वित महिलाओं और बच्चों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों ने वांछित परिणाम प्राप्त किए हैं और यदि हां, तो आज की तिथि तक इसके तहत हासिल उपलब्धियों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (घ) क्या सरकार का देश में उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के दायरे/कवरेज में सुधार/विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों का उपयुक्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ङ.) : बेहतर निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, वर्तमान में 15वें वित्तीय आयोग चक्र में, देश में महिलाओं और बच्चों की सामाजिक सुरक्षा/सशक्तिकरण/कल्याण/विकास के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी स्कीमों को तीन स्कीमों अर्थात् (1) सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0 (2) मिशन शक्ति (3) मिशन वात्सल्य में सम्मिलित कर दिया गया है। इन स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

(I) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** इस कार्यक्रम को तीन प्राथमिक स्कीमों अर्थात् (I) बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण सहायता (II) आरंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) और (III) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है।

(II) **मिशन शक्ति** - मिशन शक्ति में क्रमशः महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए दो उप स्कीमों 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल है। वन स्टॉफ सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की वर्तमान स्कीमों को संबल उप स्कीम का भाग बता दिया गया है; जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) उज्ज्वला और स्वाधार गृह (शक्ति सदन), कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास), लैंगिक बजट और राष्ट्रीय क्रेच स्कीम की वर्तमान बजट और राष्ट्रीय क्रेच स्कीम की वर्तमान स्कीमों को 'सामर्थ्य' में शामिल कर लिया गया है।

(III) **मिशन वात्सल्य** % इस स्कीम के अंतर्गत, देश भर में वैश्विक रूप से जरूरतमंद और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए सेवा प्रदायगी तथा विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ आधारित समाधान विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु के अनुसार शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण तक पहुंच मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि के लिए सहायता प्रदान करती है और इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के बच्चे शामिल है।

विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उपरोक्त वर्णित स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले महिलाओं/बच्चों की संख्या सहित जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में है।

उपरोक्त वर्णित स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-11** में है।

\*\*\*\*\*

प्रत्येक तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान लाभान्वित महिलाएं और बच्चों की संख्या के साथ निर्मुक्त तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

1. आंगनवाड़ी सेवा स्कीम

क. जारी की गई / उपयोग की गई निधि

(लाख रूपए में )

क्रम स .	राज्य/ संघ शासित प्रदेश	वर्ष 2019-20 के दौरान निर्मुक्त निधि		आईसीडीएस (सामान्य)	
		जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	32726.24	35506.93	29729.92	33070.43
2	बिहार	76100.71	77138.36	47936.4	48225.23
3	छत्तीसगढ़	20930.7	29702.51	24932.85	24932.85
4	गोवा	826.38	831.65	684.14	869.96
5	गुजरात	33671.97	40542.46	32422.06	30313.82
6	हरियाणा	4205.09	4294.73	13106.67	10669.92
7	झारखंड	22959.33	21807.41	19206.2	20568.00
8	कर्नाटक	42657.55	51728.29	31421.97	35939.22
9	केरल	14085.21	13835.69	17534.3	19284.67
10	मध्य प्रदेश	71534.93	69650.22	45572.99	55680.17
11	महाराष्ट्र	78949.43	79886.53	50087.82	61188.42
12	उड़ीसा	49466.82	50069.06	33428.03	37639.91
13	पंजाब	5346.54	3517.45	13993.14	13993.14
14	राजस्थान	29913.62	28231.68	28231.53	30864.71
15	तमिलनाडु	37341.72	36919.04	25108.19	28361.07
16	तेलंगाना	22519.69	21325.83	21987.17	20682.58
17	उत्तर प्रदेश	148686.46	153035.98	82387.61	92244.90
18	पश्चिम बंगाल	59862.00	77738.02	51068.97	54307.98
19	दिल्ली	4425.64	6327.18	8573.36	6057.88
20	पुदुचेरी	0	0	453.16	642.63
21	हिमाचल प्रदेश	7655.5	6152.41	16651.3	19090.12
22	जम्मू और कश्मीर	2341.36	4317.29	28275.8	28380.36
23	उत्तराखंड	13308.15	15484.60	16103.22	17991.02
24	अंडमान और निकोबार	327.44	327.44	802.54	802.54
25	चंडीगढ़	705.52	705.52	622.16	622.16
26	दमन और दीप	185.75	185.75	375.9	375.9
27	नगर हवेली	139.88	139.88	121.59	121.59
28	दमन और दीव	55.14	55.14	71.84	71.84
29	अरुणाचल प्रदेश	2332.96	4006.30	9472.2	9472.2
30	असम	49541.69	62707.56	57539.63	59830.52
31	मणिपुर	4980.21	4365.16	10678.57	9858.88
32	मेघालय	11582.97	11456.64	6624.75	6624.75
33	मिजोरम	2041.49	2041.49	2566.79	3598.47
34	नागालैंड	7390.27	7967.68	7636.36	7112.36
35	सिक्किम	291.42	488.30	1636.62	2067.21
36	त्रिपुरा	7028.04	6962.08	8849.84	9422.53
कुल		866117.82	929452.26	745895.59	800979.94

एसएनपी - अनुपूरक पोषण कार्यक्रम

(लाख रूपए में)

2020-21 के दौरान जारी की गई निधि					
क्रम सं	राज्य /संघ क्षेत्र	एसएनपी		आईसीडीएस(सामान्य )	
		निर्मुक्त की गई निधि	उपयोग की गई निधि	निर्मुक्त की गई निधि	उपयोग की गई निधि
1.	आंध्र प्रदेश	37135.93	39621.07	32145.17	35874.75
2	बिहार	85607.81	92248.70	41451.77	45445.88
3	छत्तीसगढ़	24593.07	26222.62	25841.06	26987.48
4	गोवा	858.8	823.09	1165.27	892.91
5	गुजरात	33671.97	50526.47	27761.28	29690.94
6	हरियाणा	5919.04	9630.85	12194.63	11869.85
7	झारखंड	26033.9	13609.62	19750.86	19224.29
8	कर्नाटक	41000	58445.14	27641.75	35653.32
9	केरल	13049.61	17111.18	18941.99	19153.59
10	मध्य प्रदेश	74405.7	55338.77	47631.89	53155.97
11	महाराष्ट्र	66330.71	86147.00	52452.49	57438.70
12	उड़ीसा	50299.05	50434.24	34353.21	38054.00
13	पंजाब	4341.15	5640.37	12687.89	14216.29
14	राजस्थान	34894.46	36702.71	28231.15	32069.77
15	तमिलनाडु	39022.39	37167.33	22048.8	26062.17
16	तेलंगाना	21522.15	25139.46	18408.88	21042.26
17	उत्तर प्रदेश	139063.6	88800.15	59495.34	83636.83
18	पश्चिम बंगाल	65848.2	31659.56	38757.05	58129.73
19	दिल्ली	6539.81	7179.30	3547.26	6331.49
20	पुदुचेरी	0	84.54	424.39	251.48
21	हिमाचल प्रदेश	6919.79	7023.79	18632.28	21153.62
22	जम्मू और कश्मीर	4629.5	3512.05	24272.52	37184.90
23	उत्तराखंड	14629.43	15276.49	17820.82	17265.85
24	अंडमान और निकोबारी	406.43	406.43	1119.01	119.01
25	चंडीगढ़	633.26	633.26	594.07	594.07
26	दमन और द्वीप दमन और दीव	410.11	410.11	491.43	491.43
27	लद्दाख	554.23	554.23	1885.98	1885.98
28	लक्षद्वीप	90.99	90.99	113.44	113.44
29	अरुणाचल प्रदेश	3708.17	3767.99	4420.82	2632.04
30	असम	54495.86	69759.55	52880.27	52030.96
31	मणिपुर	10697.3	6667.96	6686.14	7993.14
32	मेघालय	11648.95	11224.55	6044.17	6175.57
33	मिजोरम	2288.18	2288.18	5104.16	3580.04
34	नागालैंड	8232.9	8233.04	6688.44	6705.38
35	सिक्किम	336.42	517.57	2093.06	2067.21
36	त्रिपुरा	6503.02	7261.80	8734.45	10334.73
कुल		896321.89	870160.16	682513.19	785509.07

एन/आर - राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई

(लाख रूपए में )

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22के दौरान निर्मुक्त की गई निधि			
		एसएनपी		आईसीडीएस (सामान्य)	
		निर्मुक्त की गई निधि	उपयोग की गई निधि	निर्मुक्त की गई निधि	उपयोग की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	38268.02	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपयोग निधि लंबित नहीं है	36192.36	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपयोग निधि लंबित नहीं है
2	बिहार	88368.99		69074.08	
3	छत्तीसगढ़	26771.73		33742.69	
4	गोवा	440.88		642.68	
5	गुजरात	50526.47		32817.50	
6	हरियाणा	5919.04		11384.31	
7	झारखंड	17595.38		17702.39	
8	कनटक	58102.10		42268.09	
9	केरल	19083.19		19714.48	
10	मध्य प्रदेश	55338.77		53208.14	
11	महाराष्ट्र	105239.33		66099.60	
12	उड़ीसा	49454.24		44205.33	
13	पंजाब	4530.36		33821.32	
14	राजस्थान	31399.25		36865.38	
15	तमिलनाडु	36337.10		29201.03	
16	तेलंगाना	24680.58		23552.1	
17	उत्तर प्रदेश	139063.60		100914.99	
18	पश्चिम बंगाल	32924.10		33911.12	
19	दिल्ली	7825.24		5465.76	
20	पुदुचेरी	0		277.80	
21	हिमाचल प्रदेश	5766.40		19032.34	
22	जम्मू और कश्मीर	3458.83		37114.91	
23	उत्तराखंड	15276.48		20088.77	
24	अंडमान और निकोबार	203.22		1248.96	
25	चंडीगढ़	702.83		704.95	
26	दमन और द्वीप नगर हवेली और दमन और दीव	410.11		523.28	
27	लद्दाख	277.12		1190.35	
28	लक्षद्वीप	146.33		63.90	
29	अरुणाचल प्रदेश	4725.67		12357.17	
30	असम	69759.55		62230.33	
31	मणिपुर	8588.77		14303.27	
32	मेघालय	11051.14		6281.68	
33	मिजोरम	1862.77		3315.32	
34	नागालैंड	8232.75		7232.43	
35	सिक्किम	303.22		2269.84	
36	त्रिपुरा	6883.37		11789.1	
कुल		929516.93		890807.75	

(लाख रूपए में )

वर्ष 2022-23 के दौरान जारी की गई निधियां (01.07.2022 के अनुसार)		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल एसएनपी	सामान्य
राजस्थान	0.00	10192.85
चंडीगढ़	175.71	176.23
दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0.00
लद्दाख	115.41	297.58
लक्षद्वीप	42.83	0.00
कुल	333.95	10666.66

ख . लाभार्थियों की संख्या

क्र. म. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च -19		मार्च -20		मार्च -21	
		बच्चों (6 माह - 6 वर्ष )	गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं (पी एंड एलएम)	बच्चों (6 माह - 6 वर्ष )	गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं (पी एंड एलएम)	बच्चों (6 माह - 6 वर्ष )	गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं (पी एंड एलएम)
1	आंध्र प्रदेश	2264402	654975	2262512	623882	2508460	715366
2	अरुणाचल प्रदेश	189060	24517	162040	19547	162040	19547
3	असम	3030677	594296	2990372	594050	3090257	602416
4	बिहार	5969856	1404672	4212933	950333	7030812	1600082
5	छत्तीसगढ़	2216000	493800	1941229	438445	2076371	454417
6	गोवा	52996	14637	53525	14349	57580	11255
7	गुजरात	3104693	744902	3101046	679577	3533208	682857
8	हरियाणा	839339	263553	840688	265117	1114237	310941
9	हिमाचल प्रदेश	398112	96365	347751	92055	402835	95244
10	झारखंड	2744555	718337	2763701	734212	1356983	193797
11	कर्नाटक	3948737	895465	3864489	800418	3802458	862155
12	केरल	815494	304349	833979	336874	1029795	348309
13	मध्य प्रदेश	6571443	1426266	6116041	1393621	5825809	1262067
14	महाराष्ट्र	5196154	961743	5952304	1207504	6425949	1080441
15	मणिपुर	340984	67208	309717	50665	348064	58549
16	मेघालय	454119	73879	436048	71635	439998	67819
17	मिजोरम	155222	28150	58975	14195	100505	20481
18	नागालैंड	278810	34366	287317	50502	345470	39915
19	उड़ीसा	3918422	725129	3407671	719379	3304750	671107
20	पंजाब	671496	186289	726199	212266	800801	240093
21	राजस्थान	2667157	875613	2750796	990855	3357137	1070209
22	सिक्किम	24500	5800	19461	4638	20433	5138
23	तमिलनाडु	2440152	732488	2514453	703336	2665806	728962
24	तेलंगाना	1500000	400000	1375737	348093	1657019	447194
25	त्रिपुरा	332353	69304	303224	61275	329305	64203

26	उत्तर प्रदेश	12392606	3548330	13155926	3672183	7405128	2106414
27	उत्तराखंड	597062	177003	606832	174260	683865	182138
28	पश्चिम बंगाल	5911318	1366355	6321698	1418138	6249472	1399271
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9591	2375	10574	2393	16441	3124
30	चंडीगढ़	48547	7231	50858	6247	47039	7923
31	दादर और नगर हवेली	19363	3523	19161	6478	29218	7776
	दमन और दीव	5150	1451	5525	3276		
32	दिल्ली	437046	114264	420210	114531	624028	144378
33	जम्मू और कश्मीर	798450	159609	359016	85569	615200	155480
34	लद्दाख *						
35	लक्षद्वीप	3450	1148	3702	1119	4079	1140
36	पुदुचेरी	26806	9157	26839	9361	30636	9256
कुल		70374122	17186549	68630173	16874975	67509696	15673127

\* जम्मू और कश्मीर के साथ शामिल हैं

मार्च, 2022 के अनुसार आंगनवाडी सेवाओं के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुपूरक पोषण के लाभार्थी	
		कुल बच्चों (6 माह - 6 वर्ष )	गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं (पी एंड एलएम)
1	आंध्र प्रदेश	2481918	713716
2	अरुणाचल प्रदेश	162040	19547
3	असम	3220832	503877
4	बिहार	8217932	1808655
5	छत्तीसगढ़	2125159	473409
6	गोवा	64916	12202
7	गुजरात	3390898	712260
8	हरियाणा	967345	290043
9	हिमाचल प्रदेश	391431	93066
10	झारखंड	3028434	719175
11	कर्नाटक	4007486	799258
12	केरल	1113500	374886
13	मध्य प्रदेश	5844102	1088559
14	महाराष्ट्र	6439575	1198509
15	मणिपुर	335275	57376
16	मेघालय	470349	74994
17	मिजोरम	110226	21256
18	नागालैंड	369016	41296
19	उड़ीसा	3374963	648123
20	पंजाब	955435	266329
21	राजस्थान	3740766	1118558
22	सिक्किम	17665	4268
23	तमिलनाडु	2718978	762155
24	तेलंगाना	1581963	390270
25	त्रिपुरा	316555	50216
26	उत्तर प्रदेश	12587765	3663374
27	उत्तराखंड	605791	156725
28	पश्चिम बंगाल	6870745	1465148
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16782	2919
30	चंडीगढ़	50037	9394

31	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	31739	8678
32	दिल्ली	724890	156573
33	जम्मू और कश्मीर	729736	156757
34	लद्दाख	18402	3271
35	लक्षद्वीप	3882	1053
36	पुद्दुचेरी	32313	9670
कुल		77118841	17875565

II. पोषण अभियान  
जारी की गई / उपयोग की गई निधि

(लाख रूपए में )

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2022 तक जारी की गई कुल केन्द्रीय निधियां	31.03.2022 के अनुसार उपयोग की गई कुल केन्द्रीय निधियां
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1343.49	413.54
2	आंध्र प्रदेश	25363.32	17560.81
3	अरुणाचल प्रदेश	2815.88	1064.21
4	असम	32948.67	21276.28
5	बिहार	49365.59	30678.39
6	चंडीगढ़	890.04	573.96
7	छत्तीसगढ़	11434.54	7303.88
8	दमन और नगर हवेली और दमन और दीव	1196.11	769.67
9	दिल्ली	3327.18	2549.6
10	आंध्र प्रदेश गोवा	456.04	249.13
11	गुजरात	29127.69	22074.12
12	हरियाणा	6808.82	5790.88
13	हिमाचल प्रदेश	10895.41	7711.43
14	जम्मू और कश्मीर	9224.35	9160.82
15	झारखंड	6665.8	5467.55
16	कर्नाटक	14276.52	13221.94
17	केरल	10444.89	7474.28
18	लद्दाख	118.768	9.94
19	लक्षद्वीप	425.65	356.05
20	मध्य प्रदेश	39398.53	20087.83
21	महाराष्ट्र	60810.846	43714.39
22	मणिपुर	4389.99	3714.79
23	मेघालय	5073.386	5073.386
24	मिजोरम	3328.51	2575.03
25	नागालैंड	5624.11	5263.99
26	उड़ीसा	28014.46	15172.11
27	पुद्दुचेरी	943.62	264.58
28	पंजाब	6909.84	30.24
29	राजस्थान	22904.21	12258.06
30	सिक्किम	1370.988	1370.988
31	तमिलनाडु	25060.44	21879.36
32	तेलंगाना	17906.84	15786.92
33	त्रिपुरा	4135.95	3774.79
34	उत्तर प्रदेश	56968.96	41834.8
35	उत्तराखंड	13574.89	10769.92
36	पश्चिम बंगाल	26751.08	0
	कुल	540295.40	357277.66

III. वन स्टॉप केंद्र (ओएससी)

क. जारी की गई/उपयोग की गई निधि (15.07.2022 के अनुसार)

क्र सं	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	4159792	2935498	3859069	3636481	5821966	1071
2	आंध्र प्रदेश	26099278	20088179	20505250	2312030	24956761	2251
3	अरुणाचल प्रदेश	13418151	0	51414408	0	36945036	0
4	असम	80408520	8500671	64214400	3391983	65062587	2750
5	बिहार	104609180	989813	70966339	0	55516650	0
6	चंडीगढ़	1500450	1500450	3383756	0	1500450	0
7	छत्तीसगढ़	67738483	22791897	35320987	48969994	52685580	47555
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	7345503	306879	4001200	0	4501350	0
9	दिल्ली	36255258	4454069	18904950	10991931	18468834	5495
10	गुजरात	1500450	0	3000900	0	3000900	0
11	हरियाणा	67951666	35364899	85082483	27326557	99746053	3623
12	हिमाचल प्रदेश	40192416	23793212	39843694	8033759	38534966	0
13	जम्मू और कश्मीर	31729794	0	20405400	0	18005400	0
14	झारखंड	9639473	3720679	21883933	0	32308797	0
15	कर्नाटक	40853107	0	69724908	4800000	50678102	0
16	केरल	58203580	4869372	72908758	2400000	51388314	0
17	लद्दाख-यूटी	14090453	2296401	24305850	0	23440986	0
18	लक्षद्वीप	0	0	6545042	2743880	3000900	0
19	महाराष्ट्र	2091225	0	750225	0	1500450	0
20	मणिपुर	167092445	3335438	105031900	1200000	92140986	0
21	मेघालय	66998501	4393468	64620010	600000	56135125	0
22	मिजोरम	24884407	12767332	50193815	4800000	39658560	15651
23	नागालैंड	37430224	4991106	21161595	600000	27621514	0
24	उड़ीसा	21870881	6433040	17263928	7486005	28032929	5891
25	पुदुचेरी	19173411	7051684	32990577	17786459	52892473	21912
26	पंजाब	20934647	3528369	93155192	600000	73931040	0
27	राजस्थान	4376136	0	7201800	0	6723802	0
28	सिक्किम	35183739	7172012	49061272	7555000	38531370	0
29	तमिलनाडु	67711508	9506788	56686911	5342000	94185206	1834
30	तेलंगाना	6809569	2558294	6601800	600000	8079954	0
31	त्रिपुरा	71359691	44600458	106660397	24092195	52037586	0
32	उत्तर प्रदेश	62446827	14814166	76973415	0	94598148	0
33	उत्तराखंड	6001800	0	16203600	600000	13574689	0
34	पश्चिम बंगाल	123193989	18383657	228832664	600000	139679357	0
35		22907445	9895440	27308659	0	26316672	0
36		9546450	0	19890150	0	22731600	0

क. ओएससी स्कीम के प्रारम्भ से 31.03.2022 के अनुसार पंजीकृत/ लाभान्वित मामलों की स्थिति

क्रम सं	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मामलों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1677
2	आंध्र प्रदेश	33226
3	अरुणाचल प्रदेश	1094
4	असम	8203
5	बिहार	21025
6	चंडीगढ़	919
7	छत्तीसगढ़	30243

8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	903
9	दिल्ली	5825
10	गोवा	3976
11	गुजरात	18458
12	हरियाणा	19339
13	हिमाचल प्रदेश	648
14	जम्मू और कश्मीर	5462
15	झारखंड	1694
16	कर्नाटक	9727
17	केरल	9747
18	लद्दाख	27
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	50510
21	महाराष्ट्र	12578
22	मणिपुर	631
23	मेघालय	1347
24	मिजोरम	592
25	नागालैंड	805
26	उड़ीसा	14703
27	पुदुचेरी	343
28	पंजाब	9536
29	राजस्थान	30684
30	सिक्किम	647
31	तमिलनाडु	27302
32	तेलंगाना	37702
33	त्रिपुरा	154
34	उत्तर प्रदेश	175683
35	उत्तराखंड	5362
36	पश्चिम बंगाल	0
	कुल	540772

#### IV. महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)

क. जारी/उपयोग की गई निधियां (15.07.2022 के अनुसार)

(राशि रूप में)

क्रम सं	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3408000	3408000	1704000	1704000	3301455	0
2	आंध्र प्रदेश	3408000	3408000	5769877	5769877	11928000	0
3	अरुणाचल प्रदेश	6146252	6146252	3976000	3976000	4680903	0
4	असम	6196756	6196756	6427874	6427874	6097868	0
5	बिहार	4650000	4650000	2325000	2325000	8996412	0
6	चंडीगढ़	6626660	6626660	5111578	5111578	6196580	0
7	छत्तीसगढ़	6816000	6816000	6666682	6666682	9959620	0
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	3408000	0	1704000	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
10	गोवा	2771000	2771000	1704000	1704000	1704000	0
11	गुजरात	4650000	0	2325000	0	0	0

12	हरियाणा	2210254	2210254	1704000	1704000	4659236	0
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
14	जम्मू और	9838640	9838640	6006790	6006790	6575866	0
15	कश्मीर-संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
16	झारखंड	0	0	0	0	0	0
17	कर्नाटक	3408000	3408000	8073249	8073249	8520000	0
18	केरल	0	0	0	0	0	0
19	लद्दाख-यूटी	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	2325000	2325000	5880623	0
21	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0
22	मणिपुर	0	0	1704000	1704000	8409103	0
23	मेघालय	3408000	3408000	8808465	8808465	5129053	0
24	मिजोरम	3408000	3408000	6816000	6816000	10224000	0
25	नागालैंड	3408000	3408000	10224000	10224000	6811000	68110
26	उड़ीसा	3408000	3408000	9625478	9625478	4736696	0
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	3408000	0	1704000	0	0	0
29	राजस्थान	4650000	4650000	6732957	6732957	5605944	0
30	सिक्किम	3408000	0	1704000	0	5681099	0
31	तमिलनाडु	4650000	4650000	2325000	2325000	5052830	0
32	तेलंगाना	12839001	12839001	4861468	4861468	8278201	0
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	4650000	4650000	13253502	13253502	5915619	0
35	उत्तराखंड	6040147	6040147	1704000	0	966112	0
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0

ख . डब्ल्यूएचएल स्कीम के प्रारम्भ से **31.03.2022** के अनुसार पंजीकृत/लाभान्वित कॉल की स्थिति

क्रम सं .	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत कॉल
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1539
2	आंध्र प्रदेश	931396
3	अरुणाचल प्रदेश	7309
4	असम	157811
5	बिहार	244803
6	चंडीगढ़	74507
7	छत्तीसगढ़	81263
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	528
9	दिल्ली	1121711
10	गोवा	18383
11	गुजरात	1004258
12	हरियाणा	43208
13	हिमाचल प्रदेश	4663
14	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	126457
15	झारखंड	464151
16	कर्नाटक	26184
17	केरल	113885

18	लक्षद्वीप	0
19	मध्य प्रदेश	194616
20	महाराष्ट्र	295424
21	मणिपुर	768
22	मेघालय	30898
23	मिजोरम	11044
24	नागालैंड	2290
25	उड़ीसा	76058
26	पुदुचेरी *	0
27	पंजाब	1053006
28	राजस्थान	25531
29	सिक्किम	314
30	तमिलनाडु	256412
31	तेलंगाना	89843
32	त्रिपुरा	59
33	उत्तर प्रदेश	553667
34	उत्तराखंड	5939
35	पश्चिम बंगाल*	0
	कुल	7017925

**V. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जारी / उपयोग की गई निधि**

(लाख रूपए में )

राज्य	वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22
	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई
अंडमान और निकोबार	28.92	28.09	19.82	19.47	19.46
आंध्र प्रदेश	98.23	137.49	137.49	27.98	54.69
अरुणाचल प्रदेश	174.13	208.85	117.19	-	119.58
असम	73.03	53.55	41.89	37.16	47.15
बिहार	22.16	52.25	16.95	-	37.98
चंडीगढ़	3.32	11.23	12.73	9.63	14.63
छत्तीसगढ़	34.78	67.23	48.81	28.16	50.66
दादर नागर हवेली	8.61	3.17	0.00	-	3.18
दमन और दीव	37.50	15.01	0.00	0.42	3.39
गोवा	21.38	4.07	0.00	7.80	0
गुजरात	278.22	434.07	328.18	279.15	326.72
हरियाणा	185.51	286.69	249.83	142.26	162.80
हिमाचल प्रदेश	231.53	229.85	158.78	106.26	142.76
जम्मू और कश्मीर	363.32	370.44	335.73	105.77	104.05
झारखंड	40.18	80.24	54.16	-	0
कर्नाटक	63.61	99.71	99.71	87.67	107.66
केरल	4.33	17.14	17.14	6.08	11.08
लक्षद्वीप	3.65	23.52	11.02	-	0
लद्दाख	0.00	37.96	8.61	-	0
मध्य प्रदेश	599.34	758.69	589.05	776.85	839.19
महाराष्ट्र	294.03	365.14	255.80	130.49	122.68
मणिपुर	371.04	367.73	344.17	274.98	90.00
मेघालय	67.36	57.80	40.27	19.89	24.89
मिजोरम	75.00	75.00	50.00	75.00	60.00
नागालैंड	253.17	298.91	271.57	290.60	192.61
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	72.54	38.53	34.40	-	0
उड़ीसा	258.66	50.88	21.98	52.38	115.61
पुदुचेरी	25.00	22.32	9.82	-	0
पंजाब	747.78	683.75	467.10	534.39	355.19
राजस्थान	180.86	430.73	378.21	455.27	566.02

सिक्किम	47.50	50.00	25.00	22.20	27.20
तमिलनाडु	184.10	302.72	253.42	114.11	239.83
तेलंगाना	235.88	218.33	128.47	25.00	81.80
त्रिपुरा	0.00	20.94	20.94	12.50	0
उत्तर प्रदेश	396.56	970.39	577.95	742.60	1499.45
उत्तराखंड	522.30	537.43	203.74	255.24	290.50
<b>कुल</b>	<b>6003.49</b>	<b>7409.85</b>	<b>5329.94</b>	<b>4639.31</b>	<b>5710.76</b>

वित्त वर्ष 2021-22 हेतु उपयोग राशि लंबित नहीं है

## VI. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

क. जारी/उपयोग की गई निधियां (15.07.2022 के अनुसार )

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2019-20		2020-21		2021-22 <sup>^</sup>	
		(करोड़ रूपए में)		(करोड़ रूपए में)		(करोड़ रूपए में)	
		जारी की गई	उपयोग की गई *	जारी की गई	उपयोग की गई *	जारी की गई	उपयोग की गई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप ^	1.27	1.08	0.98	1.01	1.19	0.4
2	आंध्र प्रदेश ^	101.25	168.81	14.39	78.48	20.22	8.9
3	अरुणाचल प्रदेश ^	0	3.81	8.72	3.25	1.13	1.3
4	असम ^	125.95	169.35	94.69	64.42	35.47	109.8
5	बिहार ^	101.88	342.16	319.98	498.93	211.74	179.1
6	चंडीगढ़	3.99	2.96	4.4	2.35	1.96	2.3
7	छत्तीसगढ़	52.93	82.26	9.66	58.86	38.66	56.9
8	दादर और नगर हवेली ^	1.47	1.37	0.3	2.45	1.71	1.4
9	दमन और द्वीप ^	1.04	0.65	0.04			
10	गोवा ^	1.4	2.12	0.12	1.95	1.09	1.2
11	गुजरात ^	102.68	155.33	-	47.11	46.32	25.2
12	हरियाणा ^	65.87	77.87	7.36	40.87	40.02	68.9
13	हिमाचल प्रदेश	33.69	28.65	7.73	20.61	21.17	20.9
14	जम्मू और कश्मीर ^	30.12	30.31	7.5	20.14	39.34	38.5
15	कर्नाटक	63.38	95.13	16.27	57.23	58.39	58.7
16	झारखंड ^	119.53	195.56	37.92	161.43	142.77	98.7
17	कर्नाटक	64.19	95.15	15.29	68.4	53.37	94.1
18	केरल ^	-	-	0.76	0.27	0.38	0.3
19	लद्दाख* <sup>*</sup>	0.18	0.12	0.06	0.17	0.11	0.1
20	लक्षद्वीप	285.16	308.18	62.78	179.68	130.29	275.1
21	महाराष्ट्र	294.14	386.03	113.11	264.85	99.50	252.6
22	मणिपुर ^	4.12	12.1	6.48	6.96	1.15	3.2
23	मेघालय	4.21	8.43	5.08	4.85	5.08	6.0
24	मिजोरम	8.12	7.62	5.46	3.07	2.90	3.0
25	नागालैंड ^	2.67	10.06	1.39	2.67	4.98	2.0
26	दिल्ली के एनसीटी	26.88	38.04	5.46	26.68	28.31	42.1
27	ओडिशा ^	-	0	-	0	0.00	0.0
28	पुदुचेरी	1.6	3.82	0.85	1.87	2.39	2.9
29	पंजाब ^	35.54	70.11	12.79	29.74	16.47	16.7
30	राजस्थान ^	96.52	167.81	100.02	151.23	108.20	147.9
31	सिक्किम ^	0.88	2.09	0.57	1.06	0.42	0.6
32	तमिलनाडु ^	46.21	215.29	93.39	195.97	35.02	69.3
33	तेलंगाना ^	0	-	-	0	0.00	0.0
34	त्रिपुरा ^	5.29	16.26	7.55	6.98	4.53	4.7
35	उत्तरप्रदेश	405.56	603.83	99.28	476.85	290.85	332.8
36	उत्तराखंड	27.66	28.81	18.97	26.29	20.71	25.8

37	पश्चिम बंगाल	87.69	205.88	-	0.56	162.59	0.1
	कुल	2,203.04	3,537.05	1079.37	2,507.23	1628.42	1952.9

\*इसमें केंद्र और राज्य के हिस्सेदारी शामिल है

\*\* 2020-21 के पहले, लद्दाख को जम्मू कश्मीर के भाग के रूप में शामिल किया गया है

^ 2021-22 के दौरान उपयोग की गई निधि के लिए, प्रधान मंत्री मातृत्व वन्दना- सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मातृत्व लाभ के भुगतान के लिए वितरित राशि पर विचार किया गया है जहां राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

\$ 2022-23 के दौरान उपयोग की गई निधि के लिए, प्रधान मंत्री मातृत्व वन्दना- सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मातृत्व लाभ के भुगतान के लिए वितरित राशि पर विचार किया गया है जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से तिमाही व्यय का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है

ख . लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (as on 15.07.2022)
		लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	अण्डमान और निकोबार द्वीपों	2,356	2,189	1,644	685
2	आंध्र प्रदेश	512,648	292,094	39,226	207,636
3	अरुणाचल प्रदेश	9,320	8,529	4,204	1,727
4	असम	417,913	201,400	285,471	16,593
5	बिहार	891,050	1,181,671	476,243	197,004
6	चंडीगढ़	9,449	7,986	8,119	3,804
7	छत्तीसगढ़	249,714	183,332	192,578	78,381
8	दादरा और नगर हवेली	4,472	3,314	4,795	2,795
9	दमन और दीव	2,151	1,471		
10	दिल्ली	104,221	80,607	126,853	48,410
11	गोवा	6,372	6,187	4,217	1,545
12	गुजरात	407,896	162,926	93,330	89,114
13	हरियाणा	217,033	119,822	210,874	52,336
14	हिमाचल प्रदेश	81,449	67,530	66,039	26,396
15	जम्मू और कश्मीर	85,801	60,380	111,946	25,881
16	झारखंड	272,441	178,563	152,662	3,666
17	कर्नाटक	537,386	506,308	446,404	436,831
18	केरल	273,181	216,813	288,397	61,714
19	लद्दाख	0	1,173	1,071	0
20	लक्षद्वीप	327	665	481	0
21	मध्य प्रदेश	979,547	933,964	910,109	171,715
22	महाराष्ट्र	1,032,254	808,517	782,527	275,714
23	मणिपुर	23,979	16,442	8,353	3,001
24	मेघालय	16,380	10,004	12,689	1,154
25	मिजोरम	9,395	7,376	8,151	3,823
26	नागालैंड	15,207	6,073	4,655	1,502
27	उड़ीसा	0	0	0	0
28	पुद्दुचेरी	10,553	6,477	9,139	3,503
29	पंजाब	149,709	127,204	52,846	0
30	राजस्थान	535,006	451,863	476,509	153,991
31	सिक्किम	4,632	3,219	2,668	2,147
32	तमिलनाडु	524,185	469,571	274,703	180,700
33	तेलंगाना	0	0	0	0
34	त्रिपुरा	42,717	24,277	16,723	7,438
35	उत्तर प्रदेश	1,642,844	1,302,623	989,646	541,271
36	उत्तराखंड	75,827	80,994	71,952	0
37	पश्चिम बंगाल	486,151	11	2.00	380,330
	कुल योग	9,633,566	7,531,575	6,135,226	2,980,807

\* इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल है।

\*\* 2020-21 से पूर्व, लद्दाख को जम्मू और कश्मीर के भाग के रूप में शामिल किया गया है।

नोट । - वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या की गणना करने के उद्देश्य के लिए लाभार्थी की गणना लाभार्थी को वर्ष में किसी किश्त के भुगतान पर की जाती है। यदि वह लाभार्थी पश्चातवर्ती वर्षों में कोई किश्त प्राप्त करता है तो उस लाभार्थी की गणना उस वर्ष में भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या में की जाएगी । कुछ वर्षों में भुगतान किए गए कुल लाभार्थियों को भुगतान किए गए कुल लाभार्थियों को भुगतान किए गए कुल लाभार्थियों की संख्या प्राप्त करने के लिए जोड़ा नहीं जा सकता है। किंतु, नामांकन के मामले में, लाभार्थी की गणना पंजीकरण के केवल प्रथम वर्ष में ही की जाती है।

2. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से प्राप्त सूचना के आधार पर

**VII. स्वाधार गृह**

**क. जारी/उपयोग की गई निधियां**

(लाख रूपए में )

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20 के दौरान जारी/आवंटित की गई राशि	2011 के दौरान उपयोग की गई राशि	2020-21 के दौरान जारी/आवंटित की गई राशि	2021-22 के दौरान उपयोग की गई राशि	21-22 के दौरान जारी/आवंटित की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	190.93	-	-	-	-
2.	असम	143.51	143.51	-	-	-
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.27	7.24	3.96	3.95	7.26
4.	अरुणाचल प्रदेश	9.69	9.69	10.48	**	11.83
5.	बिहार	0	-	0	-	-
6.	चंडीगढ़	7.99	7.99	8.45	8.45	7.99
7.	छत्तीसगढ़	22.95	21.35	22.89	22.89	20.75
8.	दिल्ली	18.38	17.72	13.10	**	-
9.	गुजरात	18.31	-	15.26	**	-
10.	हिमाचल प्रदेश	5.45	3.05	3.35	6.53*	9.13
11.	झारखंड	18.17	7.88	0	-	-
12.	जम्मू और कश्मीर	38.87	38.86	27.76	27.76	25.64
13.	कर्नाटक	221.67	201.53	301.31	272.84	639.98
14.	केरल	32.26	-	71.11	**	46.02
15.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	-
16.	मध्य प्रदेश	162.05	144.52	53.01	72.97*	74.35
17.	मिजोरम	71.97	-	-	-	137.69
18.	मणिपुर	267.08	267.08	313.74	**	-
19.	मेघालय	0	8.58	36.36	**	20.74
20.	नागालैंड	13.08	13.08	-	-	-
21.	उड़ीसा	286.73	240.47*	642.96	**	454.80
22.	पंजाब	9.58	-	-	-	-
23.	पुद्दुचेरी	7.99	7.99	21.17	21.17	10.80
24.	राजस्थान	87.19	-	-	-	-
25.						
26.	सिक्किम	10.64	10.47	10.47	10.47	10.65
27.	तमिलनाडु	160.2	155.69	432.35	**	-
28.	तेलंगाना	299.16	219.16	205.26	**	-
29.	त्रिपुरा	26.17	21.36	84.60	**	49.28
30.	पश्चिम बंगाल	-	-	155.67	**	282.81

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपयोग बकाया नहीं है।
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निधियां जारी नहीं की गई है।

**क. लाभार्थियों की संख्या**

क्रम सं.	राज्य के नाम	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	901	433	438
2	अरुणाचल प्रदेश	16	22	22
3	असम	510	242	242
4	अंडमान और निकोबार (यूटी)	8	9	9
5	बिहार	0	0	0
6	चंडीगढ़	17	8	11
7	छत्तीसगढ़	84	46	52
8	दादर और नगर हवेली	0	0	0

9	दमन और दीव	0	0	0
10	दिल्ली	33	41	41
11	गोवा	0	0	0
12	गुजरात	120	117	117
13	हरियाणा	0	0	0
14	हिमाचल प्रदेश	-	9	9
15	जम्मू और कश्मीर	160	27	27
16	झारखंड	14	18	18
17	कर्नाटक	1383	1462	1445
18	केरल	473	165	165
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	240	273	273
21	महाराष्ट्र	1500	126	126
22	मणिपुर	664	431	431
23	मिजोरम	112	90	88
24	मेघालय	60	15	15
25	नागालैंड	60	34	34
26	उड़ीसा	2340	1667	1667
27	पंजाब	30	34	34
28	पुदुचेरी	30	10	10
29	राजस्थान	180	203	203
30	सिक्किम	22	18	18
31	तमिलनाडु	1050	864	864
32	तेलंगाना	831	389	389
33	त्रिपुरा	120	64	64
34	उत्तर प्रदेश	390	344	342
35	उत्तराखंड	120	-	0
36	पश्चिम बंगाल	1440	806	802
	कुल	12908	7967	7956

### VIII. उज्वला

#### क. जारी / उपयोग की गई निधियां

(करोड़ रूपए में )

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22
		जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि
1	असम	1.93	-	-	**	-
2	छत्तीसगढ़	0.34	0.14	0.30	**	-
3	गोवा	-	-	0.02	**	-
4	झारखंड	0.14	-	-	**	-
5	कर्नाटक	-	-	1.24	**	-
6	केरल	0.28	-	-	**	-
7	मणिपुर	2.89	1.84	4.37	**	-
8	मिजोरम	0.10	-	-	**	0.27
9	नागालैंड	0.19	0.16	0.22	**	-
10	उड़ीसा	1.46	0.60	1.01	0.65	-
11	सिक्किम	0.10	-	-	**	-
12	तमिलनाडु	0.52	-	-	*	-
13	तेलंगाना	0.37	0.37	0.74	**	-
14	उत्तराखंड	0.21	-	-	**	-

\*\* व्यय /उपयोगिता प्रमाणपत्र का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है

- 2021-22 के लिए उपयोगिता राशि लंबित नहीं है
- 2022-23 के लिए निधियां जारी नहीं की गई है

**क. लाभार्थियों की संख्या**

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2019-20	2020-21
		लाभार्थी	लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	200	122
2.	असम	607	196
3.	बिहार	0	-
4.	छत्तीसगढ़	75	16
5.	सिक्किम	-	-
6.	कर्नाटक	337	405
7.	केरल	100	50
8.	महाराष्ट्र	1150	86
9.	मणिपुर	950	336
10.	मध्य प्रदेश	0	-
11.	मिजोरम	28	22
12.	नागालैंड	25	14
13.	राजस्थान	250	32
14.	उड़ीसा	338	310
15.	तमिलनाडु	98	111
16.	उत्तर प्रदेश	13	26
17.	उत्तराखंड	100	09
18.	पश्चिम बंगाल	100	47
19.	गुजरात	325	07
20.	तिलांगना	250	36
21.	झारखंड	100	02
22.	गोवा	30	11
	योग	5076	1838

**IX कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास)**

**क. जारी / उपयोग की गई निधियां**

लाख रूपए में

क्र.म.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22	
		स्वीकृत / आवंटित /जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधि	स्वीकृत / आवंटित /जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधि	स्वीकृत / आवंटित /जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	146.49	146.49	-	-	-	-
2	असम	-	-	7.76	-	-	-
3	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	5.45	5.45
4	गुजरात	-	-	-	-	69.70	69.70
5	हिमाचल प्रदेश	111.86	-	-	-	-	-
6	प्रदेश	-	-	-	-	-	-
7	झारखंड	482.5	15.15	-	-	-	-
8	केरल	901.5	480.0	-	-	273.97	81.97
9	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	191.19	-
10	महाराष्ट्र	-	-	39.89	39.89	-	-
11	मिजोरम	136.50	-	-	-	-	-
12	मणिपुर	169.49	14.94	990.61	452.26	164.70	-
13	नागालैंड	244.24	244.24	223.67	-	96.09	16.20

14	पंजाब	136.5 0	-	-	-	-	-
15	तमिलनाडु	-	-	392.1 8	392.18	350.25	-
16	तेलंगाना	746.1 0	101.09	-	-	-	-

1. वित्त वर्ष 2022-23के दौरान निधियां जारी नहीं की गई

क .लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निवासियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1213
2	अरुणाचल प्रदेश	48
3	असम	223
5	छत्तीसगढ़	31
6	गोवा	40
7	गुजरात	277
8	हरियाणा	332
9	हिमाचल प्रदेश	114
11	झारखंड	121
12	कर्नाटक	1992
13	केरल	3040
14	मध्य प्रदेश	317
15	महाराष्ट्र	2044
16	मेघालय	91
17	मिजोरम	106
18	मणिपुर	133
19	नगालैंड	405
20*	ओडिशा	410
21	पंजाब	568
22	राजस्थान	251
23	सिक्किम	35
24	तमिलनाडु	335
25	तेलंगाना	200
28	उत्तर प्रदेश	211
29	पश्चिम बंगाल	112
30	चंडीगढ़	266
31	दिल्ली	2130
32	पांडिचेरी	135
<b>कुल</b>		<b>15007</b>

**X. बाल संरक्षण स्कीम**

जारी की गई/उपयोग की गई निधियां और लाभार्थियों की संख्या

(लाख रूपए में )

क्र म सं	राज्य का नाम	2019-20			2020-21			2021-22		
		जारी राशि	उपयोग की गई राशि	लाभा र्थी	जारी राशि	उपयोग की गई राशि	लाभा र्थी	जारी राशि	उपयोग की गई राशि	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	1373.53	1679.85	3356	1827.84	1295.78	3012	476.46		3069
2	अरुणाचल प्रदेश	1174.11	449.14	195	293.55	866.50	195	487.92		147
3	असम	3363.95	1730.54	1793	3159.17	2373.00	1624	864.69		1378
4	बिहार	1405.39	2334.30	1418	2203.71	2455.17	1844	2203.21		2372
5	छत्तीसगढ़	2098.74	2036.07	2264	2281.81	2345.13	2169	1870.35		2167
6	गोवा	19.63	94.56	798	129.9	182.07	798	3.43	154.12	685
7	गुजरात	2146.27	1923.30	1895	2590.93	1566.73	1946	697.24		1299
8	हरियाणा	2217.99	1642.22	1799	2391.14	1312.70	2017	931.24		1786
9	हिमाचल प्रदेश	1607.40	1416.52	1374	1457.39	1554.12	1264	1453.90		1147
10	जम्मू और कश्मीर	1225.16	2325.80	823	1490.55	710.62	759	1929.69		579
11	झारखण्ड	1845.80	1577.14	1683	1425.26	1782.26	1767	1248.02		1537
12	कर्नाटक	3290.45	2969.37	4527	2897.87	3388.23	4303	4252.11	4252.11	3974
13	केरल	1519.74	754.30	1043	1135.84	1085.16	591	607.45		1380
14	मध्य प्रदेश	3052.72	2388.42	3152	3531.26	3201.52	2976	3057.44	3256.56	2982
15	महाराष्ट्र	2449.63	1941.08	2540	3433.13	4407.73	3716	5467.46		3468
16	मणिपुर	3102.72	3073.00	1845	3468.9	3454.03	1966	3606.76		1980

17	मेघालय	2241.71	2234.49	1023	2014.36	2008.45	975	1005.91		915
18	मिजोरम	2530.43	2136.90	1204	2243.71	2007.61	1018	1957.58		776
19	नागालैंड	2085.95	2054.82	674	2125.64	2148.86	770	1842.69		597
20	उड़ीशा	3541.66	3436.79	7662	3302.54	3599.52	7392	4019.15		7077
21	पंजाब	722.00	815.29	697	558.41	673.80	681	172.57		685
22	राजस्थान	3195.88	4041.72	4960	3221.96	3869.82	5130	1542.75		3670
23	सिक्किम	662.51	618.96	580	612.81	501.61	519	807.59		534
24	तमिलनाडु	14915.36	10624.87	13339	9636.91	7620.64	13819	7669.71		13877
25	तेलंगाना	1726.38	1190.19	1626.00	431.61	1182.38	1626.00	3850.65		2822
26	त्रिपुरा	879.61	601.03	848	1075.65	1216.67	832	977.46		875
27	उत्तर प्रदेश	4277.72	4173.25	4684	5235.63	5157.43	4965	4553.91	5253.98	4722
28	उत्तराखंड	918.58	1722.38	524	712.37	291.57	511	507.90		457
29	पश्चिम बंगाल	2815.10	4285.62	5708	4375.63	4704.87	5257	3970.45		6494
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	329.62	211.53	411	282.97	117.70	360	7.50		301
31	चंडीगढ़	0.00	344.99	269	169.21	361.14	297	162.83	285.46	153
32	दादर और नगर हवेली	193.97	80.85	35	55.96	136.67	60	142.98	148.18	5
	दमन और दीव	141.79	72.36	25						
33	दिल्ली	972.86	717.64	1986	656.76	726.87	1500	794.51		1835
34	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0	0	0.00	0	5.05	0.00	0
35	लद्दाख			0	153.18	90.46	0	126.17		0

36	पुद्दुचेरी	501.9 6	513.6 0	1005	393.9 7	339.33	956	271.50		373
	कुल	7454 6.32	6821 2.89	7776 5	70977 .53	68736. 15	7761 5	63546 .23	13350. 41	76118

\*\*\*\*

## मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा

### I. सक्षम आंगनवाडी

- आंगनवाडी कर्मचारियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को प्रभावी सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्ट फोन प्रदान किए गए हैं।
- स्ट्रीम लाइन दिशानिर्देश 13.01.2021 को जारी किए गए थे जिसमें गुणवत्ता आश्वासन ड्यूटी धारकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व प्राप्ति की प्रक्रिया, अनुपूरक पोषण की प्रदायगी में पारदर्शिता, दक्षता और उत्तरदायित्व के लिए पोषण ट्रैकर के माध्यम से आयुष धारणाओं तथा सांख्यिकीय प्रबंधन और निगरानी जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। पोषण ट्रैकर में आंकड़ों को फीड करने के लिए आंगनवाडी कर्मचारियों को स्मार्ट फोन प्रदान किए गए हैं।
- पांच वर्ष से कम के कम भार वाले, कुपोषित और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की अनुमानित संख्या का पता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अंतर्गत प्राप्त की जाती है। एनएफएचएस-5 (2019-21) की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार, पांच वर्ष से कम के बच्चों के लिए पोषण सूचकों में एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में सुधार हुआ है। ठिगनेपन में 38.4 प्रतिशत से 35.5 प्रतिशत तक की कमी आई है, गंभीर कमजोरी में 21.0 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत तक की कमी हुई है तथा कम भार में 35.8 प्रतिशत से 32.1 प्रतिशत तक की कमी आई है।

### II. वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन

हिंसा द्वारा प्रभावित और जरूरतमंद महिलाओं के लिए उप राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस, चिकित्सा और कानूनी सहायता तथा परामर्श और मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श की सुविधा सहित कई एकीकृत सेवाएं 708 वन स्टॉप सेंटरों या सखी सेंटरों के माध्यम से एक ही स्थान पर प्रदान की जा रही है। मार्च, 2022 तक, लगभग 5.40 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, आपातकालीन/गैर आपातकालीन सहायता टाल फ्री महिला हेल्पलाइन (181) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

### III. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)

बीबीबीपी का लक्ष्य घटते हुए बाल लैंगिक अनुपात (सीएसआर) के मामलों को निपटाना है। सीएसआर की गणना जनगणना के माध्यम से रेजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया द्वारा दशक के आधार पर की जाती है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े 918 (2014-15) से 937 (2020-21) तक राष्ट्रीय स्तर पर 19 बिन्दुओं की बढ़ती हुई प्रकृति का सुझाव देते हैं। शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई आंकड़ों के अनुसार, सकेडरी तक स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में 2014-15 में 75.51 प्रतिशत से 2020-21 में 79.46 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

(IV) प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना (पीएमएमबीवाई)

पीएमएमबीवाई के अंतर्गत, 2.89 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नामांकित किया गया है और दिनांक 15.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार 11,217.39 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।

(V) पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत, लाभ को 4345 बच्चों तक विस्तारित किया गया है।